भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या :1553
दिनांक 15 मार्च, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करने वाले चिकित्सक के खिलाफ विशेष लेखापरीक्षा समिति रिपोर्ट पर जाँच-पड़ताल

1553 श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करने वाले चिकित्सक के खिलाफ विशेष लेखा परीक्षा समिति में स्पष्ट किए गए बिन्दुओं पर जारी छान-बीन / जाँच-पड़ताल की वर्तमान स्थिति एवं इनका ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह चिकित्सक जिनके खिलाफ जाँच-पड़ताल लंबित है, उसे जाँच-पड़ताल के दौरानस्वैच्छिकसेवानिवृत्ति प्रदानकरदीगईहै; और
(ग) क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करने के पूर्व कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और विधि कार्य विभाग से परामर्श किया गया था और उनके विचार क्या थे ?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री
(डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग): इस प्रकार के सभी मामलों को सतर्कता मैन्युअल के अनुसार निपटाया जाता है। अधिकारी का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) का अनुरोध सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से स्वीकृत किया गया था।
